रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 438] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 2, 2018/माघ 13, 1939
No. 438] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 2, 2018/MAGHA 13, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2018

का.आ. 507(अ).—अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारुप, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है; और यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव देने का इच्छुक है, वह विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, अपनी आपत्ति या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को या ई-मेल esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकता है।

प्रारूप अधिसूचना

जमवारामगढ़ अभयारण्य राजस्थान के जयपुर शहर के निकट अरावली पहाड़ियों में स्थित है। यह बहुत पुराना अभयारण्य है जो उत्तर की ओर मनोहरपुर दौसा मेगा राजमार्ग और दक्षिण की ओर रेंज बस्सी के वन क्षेत्र से घिरा है। इस वन्यजीव अभयारण्य को राजस्थान सरकार की अधिसूचना सं. एफ. 11 (19) राज.-8/01, दिनांक 31.05.1982 के द्वारा अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था। इस अभयारण्य का कुल क्षेत्रफल 300 वर्ग किलोमीटर है।

और, इस अभयारण्य की मुख्य वनस्पतियों में धोक, खैर, कुमथा शामिल हैं जहां तेंदुआ, लकड़बग्घा, सियार, भेड़िया, लेमुर, साही, बिज्जु, नेवला, चितल, सांभर, ब्लूबुल, मगरमच्छ और पक्षियों की कई प्रजातियां रहती हैं जो इस अभयारण्य के मुख्य जीवजंतु हैं।

और, अभयारण्य क्षेत्र में लगभग 83 ग्राम स्थित हैं जिसके कारण अभयारण्य पर लगातार जैविक दबाव बना रहता है और इस दबाव के परिणामस्वरूप पेड़ों की अवैध कटाई, वन भूमि पर अतिक्रमण, अवैध चराई, अवैध खनन और जंगल में आग लगने की घटनाएं होती हैं। इसलिए, जमवारामगढ़ अभयारण्य की जैव-विविधता को संरक्षित करने के लिए, अभयारण्य के निकटवर्ती क्षेत्रों को, पारिस्थितिकी और पर्यावरण के संरक्षण के दृष्टिकोण से, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में संरक्षित और सुरक्षित किया जाना आवश्यक है।

और, जमवारामगढ़ अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा-1 में विनिर्दिष्ट हैं, को पारिस्थितिकी, पर्यावरण और जैव विविधता की दृष्टि से तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों की श्रेणियों उनके संचालन तथा प्रसंस्करण को निषिद्ध करने के लिए पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रुप में संरक्षित और सुरक्षित करना आवश्यक है।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की उपधारा (1) तथा धारा 3 की उपधारा (2) एवं उपधारा (3) के खंड (v) और खंड (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जयपुर जिले में जमवारामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 100 मीटर से 1 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को जमवारामगढ़ अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात्:--

1. पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और सीमा.-

(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्र जमवारामगढ़ अभयारण्य के चारों ओर 100 मीटर से 1.0 किलोमीटर तक फैला है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल 77.56 वर्ग किलोमीटर है।

(2) जमवारामगढ़ अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण **उपाबंध-I** में दिया गया है।

(3) सीमा विवरण और अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र **उपाबंध-II क-ख** के रुप में संलग्न है।

(4) जमवारामगढ़ अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भू-निर्देशांक **उपाबंध –III** की सारणी क एवं ख में दिए गए हैं।

(5) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध – IV** के रुप में संलग्न है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.–

i. राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए, राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ एक आंचलिक महायोजना बनायेगी।

ii. राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से तथा प्रासंगिक केंद्रीय और राज्य विधियों तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों, यदि कोई हों, के अनुरूप बनायी जाएगी ।

iii. आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय संबंधी सरोकारों को शामिल करने के लिए इसे राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से बनाया जाएगा, अर्थात्:--

क) पर्यावरण विभाग;

ख) वन, शहरी विकास;

ग) पर्यटन, नगर निगम;

घ) सिंचाई;

ङ) लोक निर्माण विभाग/राजस्व विभाग;

च) राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

iv. जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वर्तमान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आचंलिक महायोजना में सभी प्रकार की अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों के सुधार की व्यवस्था की जाएगी जिससे कि वे अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी अनुकूल बन सकें।

v. आंचलिक महायोजना में वन-रहित क्षेत्रों की बहाली, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं की व्यवस्था की जाएगी जिन पर ध्यान देना आवश्यक है।

vi. आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों एवं शहरी बस्तियों, वनों की श्रेणियों और किस्मों, आदिवासी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों, नमभूमियों और अन्य जल निकायों की सीमा का निर्धारण किया जाएगा तथा सहायक मानचित्र भी दिया जाएगा। इस महा-योजना से संबंधित सहायक मानचित्र में विद्यमान और प्रस्तावित भूमि के उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा दिया जाएगा।

vii. आंचलिक महायोजना के अंतर्गत पारिस्थितिकी संवेदी जोन में होने वाले विकास को विनियमित किया जाएगा और पैरा-4 की सारणी में यथा सूचीबद्ध प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्रियाकलापों का पालन किया जाएगा तथा स्थानीय जनता की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल विकास का भी सुनिश्चिय एवं संवर्धन किया जाएगा।

viii. आंचलिक महायोजना क्षेत्रीय विकास योजना की सह-कालिक होगी।

ix. आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिक संवेदी जोन में होने वाले विकास को विनियमित किया जाएगा ताकि स्थानीय जनता की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिक अनुकूल विकास सुनिश्चित किया जा सके।

x. अनुमोदित आंचलिक महायोजना निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ताकि वह इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कृत्यों का निवर्हन कर सके।

2. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय- राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:--

(1) **भू-उपयोग –**

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के लिए चिन्हित उद्यानों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या आवासीय परिसरों या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए प्रयोग या संपरिवर्तन नहीं किया जाएगा:

(ख) परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, निगरानी समिति की सिफारिश पर और सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा यथा लागू केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन तथा इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा:-

i. विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का निर्माण;

ii. बुनियादी ढांचे और नागरिक सुविधाओं का निर्माण और नवीकरण;

iii. प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

iv. ग्रामीण उद्योगों सहित कुटीर उद्योग; पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक सुविधा भण्डार और गृह वास सहित स्थानीय सुविधाएं; और

v. बढ़ावा दिए गए और पैरा-4 में वर्णित क्रियाकलाप :

(ग) परंतु यह भी कि क्षेत्रीय शहरी नियोजन अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों का अनुपालन किए बिना तथा संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, का अनुपालन किए बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का प्रयोग अनुज्ञात नहीं होगा।

(घ) परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाली भूमि के अभिलेखों में उत्पन्न किसी त्रुटि को, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जाएगा और उक्त त्रुटि के सुधार की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी।

(ड.) परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि को सुधारने में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन शामिल नहीं होगा।

(च) अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण के तथा पर्यावास और जैव- विविधता की बहाली के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत** -- आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जलस्रोतों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उसमें उनके संरक्षण और पुनरुद्धार की योजना शामिल की जाएगी और इन क्षेत्रों में या इनके आसपास के क्षेत्रों में विकास क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध करने के लिए राज्य सरकार द्वारा दिशानिर्देश बनाए जाएंगे।

(3) **पर्यटन/पारिस्थितिकी पर्यटन –** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन सम्बंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार होगा।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से पर्यटन विभाग द्वारा बनायी जाएगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का घटक होगी।

(घ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात् :-

क) जमवारामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी होटल या रिजॉर्ट का नया सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। तथापि, पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक पर्यटन महायोजना के अनुसार, पूर्व परिभाषित और अभीहित क्षेत्रों में नए होटलों और रिजॉटों की स्थापना अनुज्ञात की जाएगी।

ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन पर बल देने वाले राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी दिशानिर्देशों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा ।

ग) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन होने तक, पर्यटन के विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विशिष्ट संवीक्षा तथा निगरानी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए होटल/रिसार्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का संन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(4) **प्राकृतिक विरासत** – पारिस्थितिकी संवेदी जोन में बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि सभी जीन पूल रिजर्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कृत्रिम क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, स्थापत्य संबंधी और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** -- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन बनाए गए ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के अनुसार किया जाएगा ।

(7) **वायु प्रदूषण** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण का निवारण एवं नियंत्रण, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार किया जाएगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्रावों का निस्सारण, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत शामिल किए गए पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण संबंधी साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, इनमें जो भी अधिक कठोर हों, के अनुसार किया जाएगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट** - ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा: -

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। अकार्बनिक पदार्थों का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जाएगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट**- जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय–समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जाएगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन: -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन: -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई–अपशिष्ट:-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित तथा समय-समय पर संशोधित ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **सड़क-यातायात: -** सड़क-यातायत को पर्यावास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध शामिल किए जाएंगे। आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार सड़क यातायात के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(15) **वाहन जनित प्रदूषण:-** वाहन जनित प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण, लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा। स्वच्छतर ईंधन जैसे कि सीएनजी, एलपीजी आदि के प्रयोग के प्रयास किए जाएंगे।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां: -**

(i) सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी।

(ii) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, केवल गैर- प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना अनुज्ञात होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण:** - पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी।

(ख) जिन ढ़लानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता हैं, उनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञै नहीं होगी।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और तटीय विनियमन जोन

(सीआरजेड) अधिसूचना, 2011 और पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 सहित उनके अधीन बने नियमों और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) सहित अन्य लागू नियमों तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	विवरण
	क.प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन ।	(क) स्थानीय निवासियों की वास्तविक घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किये जाने वाले क्रियाकलापों, जिनमें घरों के निर्माण या मरम्मत और मकान बनाने एवं अन्य क्रियाकलापों के लिए देशी टाइलें या ईटें बनाने के लिए जमीन की खुदाई शामिल है, को छोड़कर सभी नई और वर्तमान (लघु एवं वृहद खनिज) पत्थर खोदने एवं तोडने वाली ईकाइयां तत्काल प्रभाव से निषिद्ध की जाती हैं; (ख) खनन क्रियाकलाप, टी.एन. गोदावर्मन थिरूमलपाद बनाम भारत संघ के मामले में वर्ष 1995 की रिट याचिका (सिविल) सं 202 में दिनांक 4 अगस्त, 2006 तथा गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में वर्ष 2012 की रिट याचिका(सिविल) सं. 435 में दिनांक 21 अप्रैल, 2014 के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसरण में किए जाएंगे।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में नए उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी। जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना की अनुज्ञा होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
3.	बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रस्संकरण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्रावों का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितकी संवेदी जोन में नई आरा मिलों की स्थापना और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
7.	ईंट भट्टों की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।

ख. विनियमित क्रियाकलाप		
8.	होटलों और रिजॉर्टों की वाणिज्यिक स्थापना।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के सिवाय, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटलों और रिजोर्टों की स्थापना अनुज्ञात नही होंगी। परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1 किलोमीटर के बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और लागू दिशानिर्देशों के अनुसार अनुज्ञात होगा।
9.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी भी प्रकार का नया वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होगा: (ख) परंतु स्थानीय निवासियों लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने प्रयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी:- (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ करना और नई सड़कों का संनिर्माण; (ii) बुनियादी ढांचे नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण; (iii) फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार गैर- प्रदूषणकारी लघु उद्योग; (iv) ग्रामीण उद्योगों सहित कुटीर उद्योग, सुविधा भण्डार और ग्रह वास सहित पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक स्थानीय सुविधाएं; और (v) इस अधिसूचना में सूचीबद्ध बढ़ावा दिए गए क्रियाकलाप। (ख) परन्तु गैर-प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे। (ग) एक किलोमीटर से आगे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार

		विनियमित होंगे ।
10.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग तथा अपरिसंकटमय लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, बागवानी या कृषि आधारित उद्योग, जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्रियों से उत्पाद बनाते हैं, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
11.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई की अनुज्ञा नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी ।
12.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों (एनटीएफपी) का संग्रहण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
13.	विद्युत और संचार टॉवर लगाने, तार-विछाने तथा अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा । भूमिगत केबल बिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा।
14.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचा।	इसकी व्यवस्था लागू विधियों, नियमों, विनियमों और मौंजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ की जाएगी।
15.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ बनाना और नई सड़कों का निर्माण।	लागू विधियों, नियमों, विनियमों और मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ किया जाएगा।
16.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स उडाना आदि।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
17.	पर्वतीय ढलानों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
18.	रात्रि में सड़क यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा।
19.	स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी पद्धतियों के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होगा ।
20.	फर्मों, कारपोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
21.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव के निस्सारण से बचा जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुन:उपयोग

	निस्सारण।	के प्रयास किए जाएंगे अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा।
22.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक प्रयोग एवं निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
23.	कृषि या अन्य उपयोग के लिए खुले कुएं/ बोर कुएं आदि का निर्माण ।	समुचित प्राधिकारी द्वारा विनियमित किया जाएगा तथा क्रियाकलाप की सख्त निगरानी की जाएगी।
24.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
25.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
26.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
27.	प्लास्टिक थैलों का प्रयोग ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर पॉलिथीन बैग के उपयोग की अनुमति होगी परन्तु यह विशिष्ट आवश्यकता के आधार पर लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
28.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग का प्रयोग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
	ग. संवर्धित क्रियाकलाप	
29.	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
30.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
31.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
32.	ग्रामीण कारीगरी सहित कुटीर उद्योग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
33.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग ।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
35.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	पारिस्थितिकी अनुकूल यातायात का प्रयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	अवक्रमित भूमि/वनों/ पर्यावासों की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
39.	पर्यावरण के प्रति जागरुकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. निगरानी समिति- केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारिस्थितिकी संवेदी जोन की प्रभावी निगरानी के लिए एक निगरानी समिति गठित करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:--

क्र. सं.	निगरानी समिति के संविधान	पद
1.	जिला कलेक्टर, जयपुर	अध्यक्ष
2.	उप-संभागीय अधिकारी, जमवारामगढ़	सदस्य
3.	अवैतनिक वन्यजीव वार्डन, जयपुर	सदस्य
4.	प्रधान, पंचायत समिति, आमेर	सदस्य
5.	वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों का एक प्रतिनिधि जिसे राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाएगा	सदस्य

6.	राज्य जैव विविधता बोर्ड से एक विशेषज्ञ	सदस्य
7.	राज्य की किसी प्रतिष्ठित संस्था या विश्वविद्यालय से पारिस्थितिकी तंत्र का एक विशेषज्ञ	सदस्य
8.	उप. वन वन्यजीव संरक्षक, जयपुर	सदस्य सचिव

6. विचारार्थ विषय :-

(1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(2) निगरानी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष या राज्य सरकार द्वारा नई समिति का पुनर्गठन किए जाने तक होगा और इसके बाद निगरानी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(3) वे क्रियाकलाप, जो भारत सरकार के पूर्ववर्ती पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अनुसूची और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्तर्गत आते हैं, उनकी इस अधिसूचना के पैरा 4 में दी गई सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध कार्यकलापों के सिवाय, वास्तविक विशिष्ट दशाओं के आधार पर निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उन्हें केन्द्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा।

(4) वे क्रियाकलाप, जो भारत सरकार के पूर्ववर्ती पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची के अंतर्गत नहीं आते हैं, परन्तु जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंर्तगत आते हैं, उनकी, इस अधिसूचना के पैरा-4 में दी गई सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, वास्तविक स्थल विशिष्ट दशाओं के आधार पर, निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जायेगी और उन्हें संबंधित विनियामक प्राधिकरणों को भेजा जायेगा।

(5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित कलेक्टर इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होगा।

(6) निगरानी समिति प्रत्येक मामले में आवश्यकताओं के आधार पर संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित पक्षों को, अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए, आमंत्रित कर सकेगी।

(7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में मुख्य वन्यजीव वार्डन को, **उपाबंध V** में दिए गए प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

8. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यधीन होंगे।

[फा. सं. 25/02/2018-ईएसजेड]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध- I

जमवारामगढ़ अभयारण्य संरक्षित क्षेत्र के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

पूर्व-दक्षिणी सीमा: पारिस्थितिकी संवेदी जोन की पूर्वी सीमा वन खंड देगोटा-61 और कनीखोर-62 के दक्षिणी बिंदु की साझा सीमा से आरंभ होती है। यह इस बिंदु अर्थात संकोतरा ग्राम से 100 मीटर दूर है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा पतलवास, भवानी, खारद, रामपुरा, घोरेथ, रायपुर, अस्थल का बास, बौदी (जरुन्दा) खवा, पलादी खुर्द, खरकदा, पलादी कलान, गोथ पलादी, सरजोली, बुज, मनोता, दोदादुन्गर ग्रामों में अभयारण्य की सीमा से 100 मीटर दूर होगी।

दक्षिण-पश्चिमी सीमा: पारिस्थितिकी संवेदी जोन की दक्षिणी सीमा दोदादुन्गर, रामपुरा, धानी अरजशाला ग्रामों की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी पर आरंभ होती है। वहां से दिपोला ग्राम तक, पारिस्थितिकी संवेदी जोन वन सीमा से 100-200 मीटर दूर होगा और इसके बाद धानी सिरा को छोड़कर, जमवारामगढ़ से रवला तालाब तक, पारिस्थितिकी संवेदी जोन अभयारण्य की सीमा से 100 मीटर दूर होगा। वहां से ग्राम लरपतियावास, चुगलपुरिया, कोलियाना, पाली, बिसोरी, नांगल तुलसीदास, घाटा जलधारी, बसना, तोदामीना तक पारिस्थितिकी संवेदी जोन अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी पर होगा।

पश्चिम-उत्तरी सीमा: पारिस्थितिकी संवेदी जोन ग्राम तोदामीना से ग्राम भावगढ़, गोदिआना, समरेद खुर्द, राइसर, जोजाराला तक अभयारण्य सीमा से एक किलोमीटर दूर होगा। वहां से, लुनेटा ग्राम के खनन क्षेत्र तक पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा लगभग 2 किलोमीटर तक 100 मीटर से की दूरी पर होगी। इसके बाद बहलोद, जयसिंहपुरा, चिलपली, केला का बास ग्राम से, वन सीमा स्तंभ संख्या 118 तक पारिस्थितिकी संवेदी जोन अभयारण्य की सीमा से 1.0 किलोमीटर की दूरी पर होगा।

उत्तर- पूर्वी सीमा: केला का बास ग्राम से वन खंड देगोटा-61 के आरंभिक बिंदु, जो कि अलवर जिले में है, तक पारिस्थितिकी संवेदी जोन अभयारण्य की सीमा से 500 मीटर दूर होगा।

उपाबंध- II क

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ जमवारामगढ़ अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र

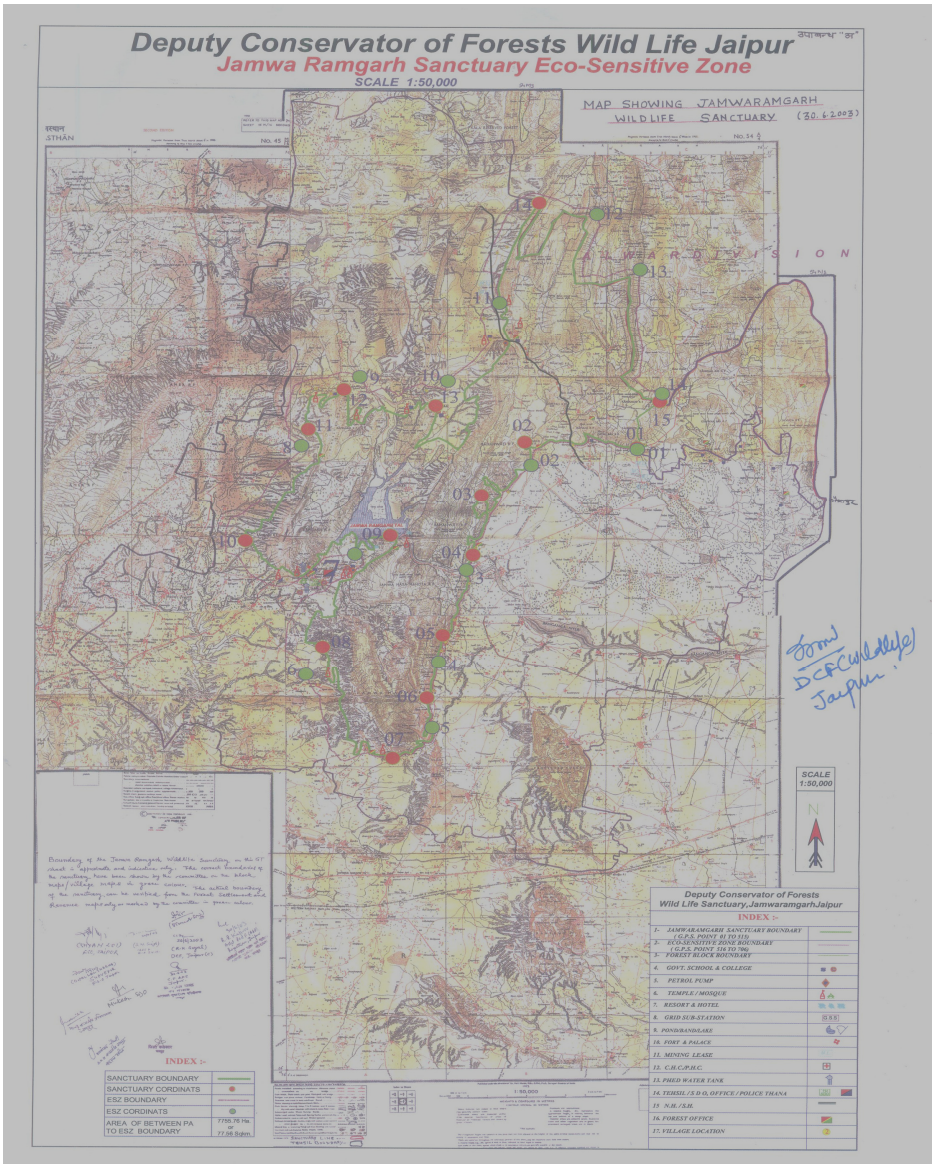

उपाबंध- IIख

जमवारामगढ़ अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का जीआईएस मानचित्र

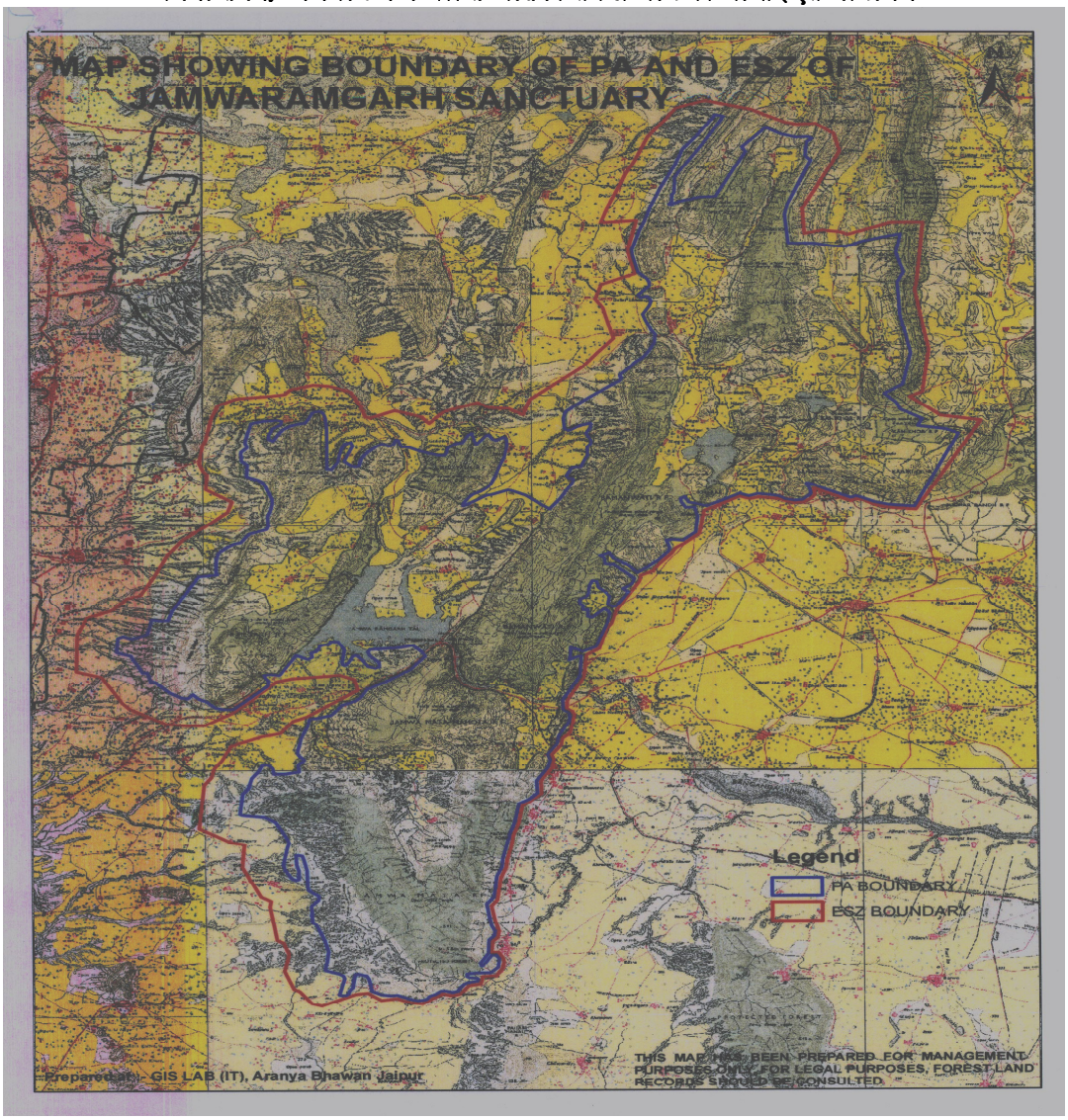

उपाबंध-III

सारणी क: जमवारामगढ़ अभयारण्य के मुख्य अवस्थानों के अक्षांश- देशांतर

क्र. सं.	उत्तर	पूर्व
1.	उ27° 05' 24.0"	पू 76° 10' 49.3"
2.	उ 27° 05' 35.6"	पू 76° 07' 20.5"
3.	उ 27° 03' 52.1"	पू 76° 05' 59.2"
4.	उ 27° 01' 54.7"	पू 76° 05' 43.6"
5.	उ 26° 59' 18.9"	पू 76° 04' 47.1"
6.	उ 26° 57' 15.4"	पू 76° 04' 16.6"
7.	उ 27° 55' 17.8"	पू 76° 03' 12.8"
8.	उ 27° 58' 56.9"	पू 76° 01' 04.0"
9.	उ 27° 02' 33.4"	पू 76° 03' 10.2"
10.	उ 27° 02' 24.7"	पू 75° 58' 40.5"
11.	उ 27° 06' 00.6"	पू 76° 00' 39.7"
12.	उ 27° 07' 19.6"	पू 76° 01' 45.8"
13.	उ 27° 06' 48.1"	पू 76° 04' 36.4"
14.	उ 27° 13' 25.5"	पू 76° 07' 49.8"
15.	उ 27° 06' 53.1"	पू 76° 11' 29.3"

सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मुख्य अवस्थानों के अक्षांश- देशांतर

क्र. सं.	उत्तर	पूर्व
1.	उ 27° 05' 20.5"	पू 76° 10' 50.2"
2.	उ 27° 04' 50.3"	पू 76° 07' 33.6"
3.	उ 27° 01' 25.7"	पू 76° 05' 31.5"
4.	उ 26° 58' 25.5"	पू 76° 04' 39.0"
5.	उ 26° 56' 17.5"	पू 76° 04' 20.2"
6.	उ 26° 58' 02.5"	पू 76° 00' 33.5"
7.	उ 27° 01' 56.9"	पू 76° 02' 03.9"
8.	उ 27° 05' 29.9"	पू 76° 00' 26.2"
9.	उ 27° 07' 43.8"	पू 76° 02' 14.9"
10.	उ 27° 07' 35.0"	पू 76° 04' 58.9"
11.	उ 27° 10' 10.1"	पू 76° 06' 35.4"
12.	उ 27° 13' 02.3"	पू 76° 09' 37.5"
13.	उ 27° 11' 13.4"	पू 76° 10' 57.4"
14.	उ 27° 07' 09.0"	पू 76° 11' 49.1"

उपाबंध-IV

जमवारामगढ़ अभयारण्य के पारिस्थितकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

क्र.सं.	ग्राम का नाम	क्र. सं.	ग्राम का नाम
1	संकोटदा+के	31	नांगल तुलसीदास
2	पतल का बास	32	घाटा जलधारी
3	भावनी	33	बसना
4	खरद	34	तोदा मीना
5	हरामपुर	35	भाव गढ़
6	घोरेथ	36	गोदियाना
7	रायपुर	37	समरेद खुर्द
8	अस्थल का बास	38	रायसर
9	झरुंदा	39	जोजराला
10	खावा	40	लुनेता
11	पलादी खुर्द	41	केला का बास
12	खरकडा	42	बहलोद
13	पलादी कला	43	जयसिंगपुरा
14	सरजोली	44	छवा का बास
15	बुज	45	लालपुरा
16	मनोता	46	पलासना
17	झोल	47	गुवारा-जोगैन
18	दोदादुन्गर	48	लोथा का बास
19	पापड	49	गुरवा नाल
20	रामपुरा	50	जैतपुर गुजरान
21	जमवारामगढ़	51	निताता
22	मेघराजसिंगपुरा		
23	बिशनपुरा		
24	नयाबास		
25	नरपतियाबास		
26	बदियावाला		
27	चुगलपुरा		
28	कोलियाना		
29	पाली		
30	बिसोरी		

उपाबंध –V

पारिस्थितिकी संवेदी जोन की निगरानी समिति - की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट का प्रपत्र

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय विंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत को एक पृथक उपाबंध में प्रस्तुत करें ।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति ।
4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार। विवरण उपाबंध के रूप में संलग्न करें।
5. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें ।
6. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd February, 2018

S.O. 507(E).— The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the Public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at: - esz-mef@nic.in

Draft Notification

WHEREAS, Jamwaramgarh Sanctuary is situated in Aravalli hills near Jaipur city of Rajasthan. It is very old sanctuary which is surrounded on Northern side by Manoharpur Dausa Mega Highway and by the forest area of Range Bassi on south eastern side. The sanctuary was notified as Wildlife Sanctuary by Government of Rajasthan *vide* notification No. F.11 (19) raj.-8/01 dated 31.05.1982. The total area of the sanctuary is **300 sq. km.**

AND WHEREAS, The major flora of this sanctuary includes Dhok, Khair, Kumtha where Leopard, Hyaena, Jackal, Wolf, Lemur, Porcupine, Bijju, Nevla, Chital, Sambhar, Bluebull, Crocodile and many species of birds comprise the main fauna of the sanctuary.

AND WHEREAS, There are as much as 83 villages situated in the Sanctuary area which creates a continuous biotic pressure on the sanctuary resulting in illicit cutting of trees, encroachments on forest land, illicit grazing, and illegal mining and forest fires. Therefore, in order to conserve the bio- diversity of the Jamwaramgarh Sanctuary, the areas adjoining the sanctuary are to be protected and conserved as Eco Sensitive Zone from ecological and environmental conservation point of view.

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area the extent and boundaries of which is specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of Jamwaramgarh Sanctuary, as Eco-sensitive zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone.

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub section (l) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent of 100 meter to 1 kilometre around the boundary of Jamwaramgarh Sanctuary in the district of Jaipur as the Jamwaramgarh Sanctuary, Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely: -

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone. –

(1) The extent of Eco-sensitive Zone varies from **100 meter to 1.0 kilometre** around the Jamwaramgarh Sanctuary. The area of Eco-sensitive Zone is **77.56 square kilometres**.

(2) The boundary description of Jamwaramgarh Sanctuary and its Eco-sensitive Zone is given in **Annexure-I.**

(3) The map of the Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes is appended as **Annexure-II A-B.**

(4) The geo-coordinates of Jamwaramgarh Sanctuary and its Eco-sensitive Zone are given in table **A & B** of **Annexure-III.**

(5) The list of villages falling within the Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure - IV.**

2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.-

i. The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the Competent authority of State.

ii. The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

iii. The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan, namely:-

a) Departments of Environment;

b) Forest, Urban Development;

c) Tourism, Municipal Corporations;

d) Irrigation;

e) Public Works Department Revenue Department;

f) Rajasthan State Pollution Control Board.

iv. The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

v. The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

vi. The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places,

horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and also with supporting maps. The Plan shall be supported by Maps giving details of existing and proposed land use features.

vii. The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for livelihood security of local communities.

viii. The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

ix. The said Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure eco-friendly development for livelihood security of local communities.

x. The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by the State Government - The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Land use. –

(a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for major commercial or major residential complex or industrial activities.

(b) Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a), within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central/State Government as applicable and vide provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents such as:

i. Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

ii. Construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

iii. Small scale industries not causing pollution;

iv. Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

v. Promoted activities and given under para 4.

(c) Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

(d) Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

(e) Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(f) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies.-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) Tourism/ Eco-tourism

(a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

a) No new construction of hotels and resorts shall be allowed within 1 km from the boundary of the Jamwaramgarh Sanctuary or upto the extent of the ESZ whichever is nearer. However, beyond the distance of 1 km from the boundary of the Jamwaramgarh Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.

b) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism;

c) Until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel /resort or commercial establishment construction is permitted within ESZ area.

(4) Natural heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution. - Prevention and Control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986 and amendments thereto.

(7) Air pollution.- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder and amendments thereto.

(8) Discharge of effluents. - Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

(9) Solid wastes. - Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(a) The solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone.

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(10) Bio-medical waste. – Bio medical waste management shall be as under:

(a) The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* Notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016.

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Bio-medical wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(11) Plastic Waste Management. - The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time**.**

(12) Construction and Demolition Waste Management. - The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) E-waste. - The E- Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic. – The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular Pollution. - Prevention and control of Vehicular Pollution shall be complied with in accordance with applicable laws. Efforts to be made for use of cleaner fuel for example CNG, LPG, etc.

(16) Industrial Units. –

(i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of Hill Slopes. - The protection of hill slopes shall be as under:

(a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.

(b) No construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-

All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone (CRZ), 2011 and the Environmental Impact Assessment (EIA) Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S No	Activity	Description
	A. Prohibited Activities	
1.	Commercial Mining	(a) All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities. (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	No new industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive zone shall be permitted. Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.

4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws
6.	Setting of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws
		B. Regulated Activities
8.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities. Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
9.	Construction activities	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one Kilometer from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: (b) Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub paragraph (1) of paragraph 3 as per building byelaws to meet the residential needs of the local residents such as: (i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads; (ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities; (iii) Small scale industries not causing pollution termed as per Classification done by Central Pollution Control Board of February 2016; (iv) Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including homestays; and (v) Promoted activities listed in this Notification.

		(c) Provided that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (d) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
10.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
11.	Felling of Trees	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made there under.
12.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
13.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures	Regulated under applicable law. Underground cabling may be promoted.
14.	Infrastructure including civic amenities	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
15.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
16.	Undertaking other activities related to tourism like over flying the ESZ area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated under applicable law
17.	Protection of Hill Slopes and river banks	Regulated under applicable laws
18.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.

19.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws for use of locals.
20.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate, companies.	Regulated under applicable laws
21.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies. Efforts to be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per applicable laws.
22.	Commercial extraction of surface and ground water	Regulated under applicable law.
23.	Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
24.	Solid Waste Management.	Regulated under applicable laws
25.	Introduction of Exotic species.	Regulated under applicable laws.
26.	Eco-tourism	Regulated under applicable laws
27.	Use of polythene bags.	Use of polythene bags are permitted within the Eco Sensitive Zone. However, based on specific requirement, it shall be regulated under applicable laws.
28.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
C. Promoted Activities		
29.	Rain water harvesting	Shall be actively promoted.
30.	Organic farming	Shall be actively promoted.
31.	Adoption of green technology for all activities	Shall be actively promoted.
32.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
33.	Use of renewable energy and fuels	Bio gas, solar light etc. to be actively promoted
34.	Agro-Forestry	Shall be actively promoted.

35.	Plantation of Horticulture and Herbals	Shall be actively promoted
36.	Use of eco-friendly transport	Shall be actively promoted.
37.	Skill Development	Shall be actively promoted.
38.	Restoration of Degraded Land/ Forests/ Habitat	Shall be actively promoted.
39.	Environmental Awareness	Shall be actively promoted.

4. Monitoring Committee:

The Central Government constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the provisions of this Notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) comprising of the following, namely:-

Sl. No.	**Constituent of the Monitoring Committee**	**Designation**
1.	District Collector, Jaipur	Chairman
2.	Sub divisional officer, Jamwaramgarh	Member
3.	Honorary wildlife warden, Jaipur	Member
4.	Pradhan, Panchayat Samiti, Amer	Member
5.	A representative of Non-governmental Organisation working in the field of wildlife conservation to be nominated by the State Government.	Member
6.	One expert from State Biodiversity Board	Member
7.	One expert in Ecology from reputed institution or university of the State	Member
8.	Dy. Conservator of Forest wildlife Jaipur	Member Secretary

6. Terms of Reference. –

(1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee would be constituted by the State Government.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma given in Annexure V.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification are subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/02/2018-ESZ]

LALIT KAPUR, Scientist 'G'

ANNEXURE- I

BOUNDARY DESCRIPTION OF ECO-SENSITIVE ZONE OF THE JAMWARAMGARH SANCTUARY PROTECTED AREA

East-Southern Boundary: The Eastern boundary of the proposed Eco sensitive Zone starts from common boundary of forest block Degota-61 and Kanikhor-62 southern point . It is 100 meters away from this point i.e. village Sankotara. The Eco sensitive Zone boundary will be 100 meters away from sanctuary boundary in the villages Patalwas, bhawani, Kharad, Rampura, Ghoreth, Raipur, asthal ka baas, Baodi (jarunda) Khawa, Paladi Khurd, Kharkada, Paladi Kalan, Goth Paladi, Sarjoli, Buj, Manota, Dodadungar.

South-Western Boundary: The South boundary of Eco Sensitive Zone starts from 1 KM away from village boundary of Dodadungar, Rampura, Dhani Arajshala. From there to village Dipola, the Eco sensitive zone shall be 100-200 meters from the forest boundary, and then excluding dhani Seera, Eco sensitive zone will be 100 mtr. from sanctuary boundary, from Jamwaramgarh to Rawla talab. From there to village Narpatiyawas, Chugalpuriya, Koliana, Pali, Bisori, Nangal Tulsidas, Ghata jaldhari, Basana, Todameena the Eco sensitive zone shall be 1 km away from sanctuary boundary.

West-Northern Boundary: Eco Sensitive Zone from village Todameena to Bhavgarh ,Godiana, Samred Khurd, Raisar, Jojarala shall be 1 kilometer from the sanctuary boundary. From there, Village Luneta mining area, the Eco sensitive zone boundary shall be 100 mtr. for nearly 2 km. distance. From there village Bahlod, Jaisinghpura, Chilpali, Kela ka baas, the forest boundary Pillar number 118, Eco Sensitive Zone shall be 1.0 kilometre from the sanctuary boundary.

North-Eastern Boundary: From village kela Ka bas to starting point of forest block Degota-61 which is in district Alwar, Eco Sensitive Zone shall be 500 meters from sanctuary boundary.

ANNEXURE- IIA

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF JAMWARAMGARH SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS

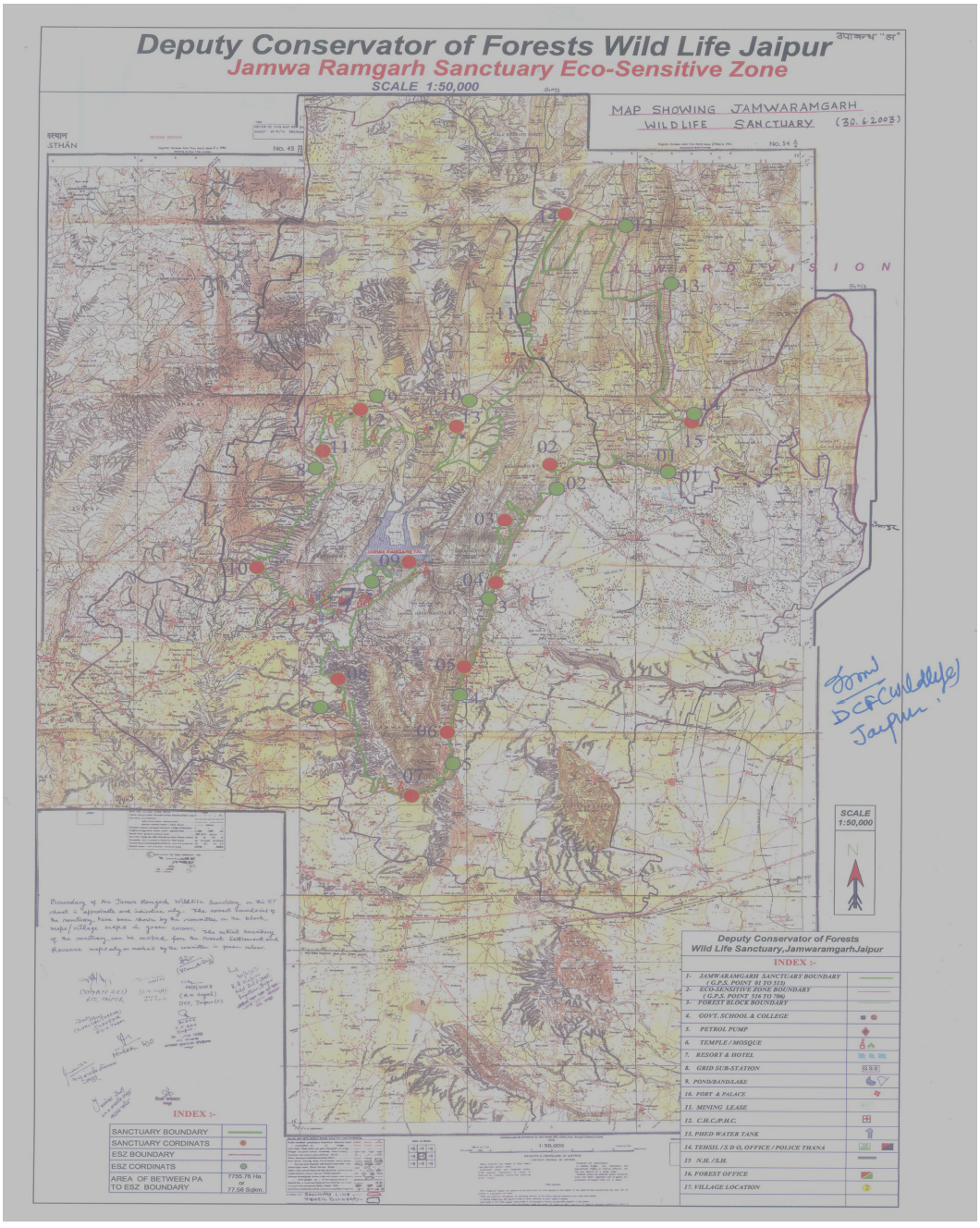

ANNEXURE- IIB

GIS MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF JAMWARAMGARH SANCTUARY

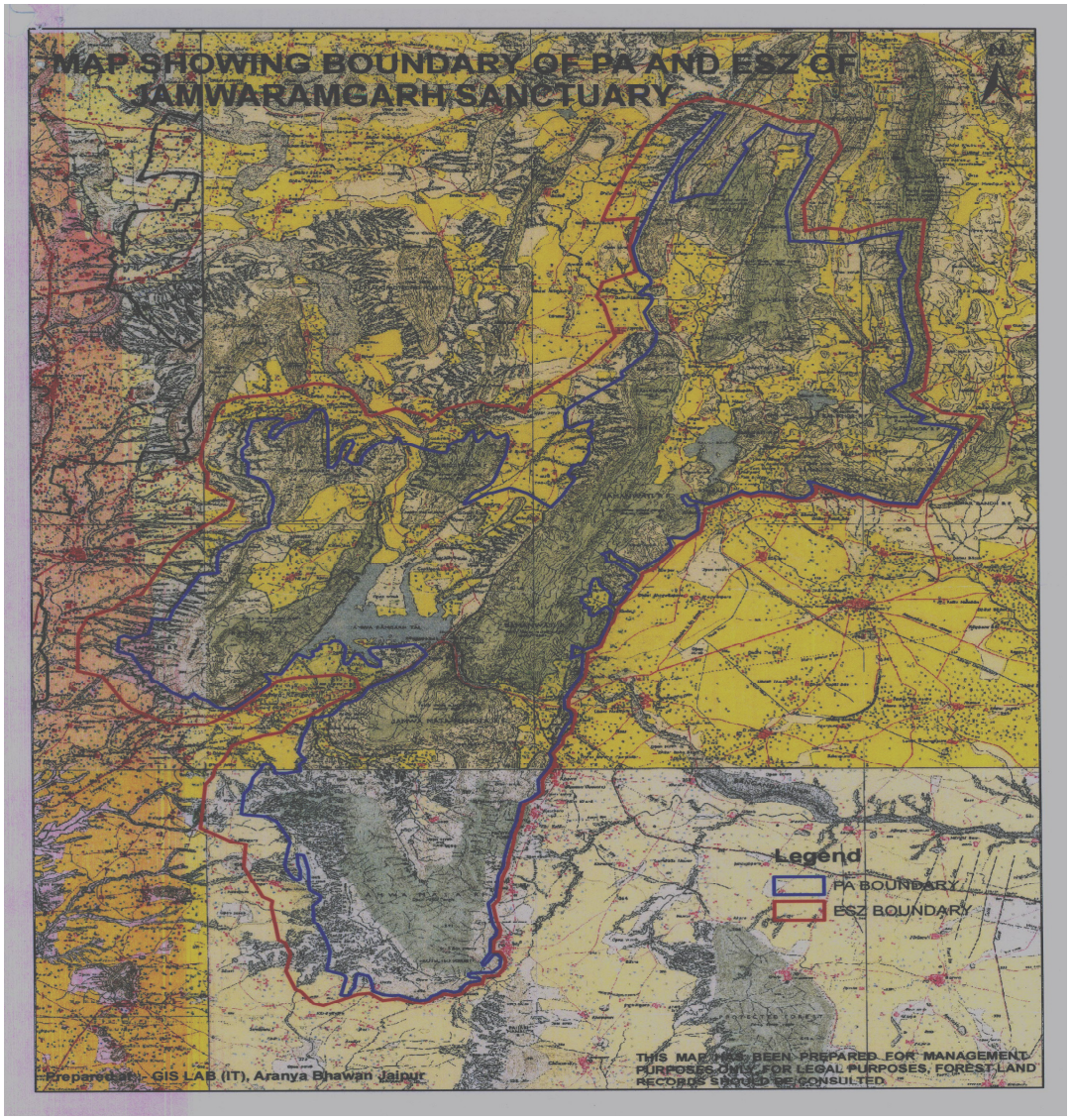

ANNEXURE-III

TABLE A: Latitude-Longitude of Prominent Locations of Jamwaramgarh Sanctuary

S. No.	North	East
1.	N 27° 05’ 24.0”	E 76° 10’ 49.3”
2.	N 27° 05’ 35.6”	E 76° 07’ 20.5”
3.	N 27° 03’ 52.1”	E 76° 05’ 59.2”
4.	N 27° 01’ 54.7”	E 76° 05’ 43.6”
5.	N 26° 59’ 18.9”	E 76° 04’ 47.1”
6.	N 26° 57’ 15.4”	E 76° 04’ 16.6”
7.	N 27° 55’ 17.8”	E 76° 03’ 12.8”
8.	N 27° 58’ 56.9”	E 76° 01’ 04.0”
9.	N 27° 02’ 33.4”	E 76° 03’ 10.2”
10.	N 27° 02’ 24.7”	E 75° 58’ 40.5”
11.	N 27° 06’ 00.6”	E 76° 00’ 39.7”
12.	N 27° 07’ 19.6”	E 76° 01’ 45.8”
13.	N 27° 06’ 48.1”	E 76° 04’ 36.4”
14.	N 27° 13’ 25.5”	E 76° 07’ 49.8”
15.	N 27° 06’ 53.1”	E 76° 11’ 29.3”

TABLE B: Latitude-Longitude of Prominent Locations of Eco-Sensitive Zone

S. No	North	East
1.	N 27° 05’ 20.5”	E 76° 10’ 50.2”
2.	N 27° 04’ 50.3”	E 76° 07’ 33.6”
3.	N 27° 01’ 25.7”	E 76° 05’ 31.5”
4.	N 26° 58’ 25.5”	E 76° 04’ 39.0”
5.	N 26° 56’ 17.5”	E 76° 04’ 20.2”
6.	N 26° 58’ 02.5”	E 76° 00’ 33.5”
7.	N 27° 01’ 56.9”	E 76° 02’ 03.9”
8.	N 27° 05’ 29.9”	E 76° 00’ 26.2”
9.	N 27° 07’ 43.8”	E 76° 02’ 14.9”
10.	N 27° 07’ 35.0”	E 76° 04’ 58.9”
11.	N 27° 10’ 10.1”	E 76° 06’ 35.4”
12.	N 27° 13’ 02.3”	E 76° 09’ 37.5”
13.	N 27° 11’ 13.4”	E 76° 10’ 57.4”
14.	N 27° 07’ 09.0”	E 76° 11’ 49.1”

ANNEXURE-IV

LIST OF VILLAGES COMING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF JAMWARAMGARH SANCTUARY

S. No.	Name of the village	S. No.	Name of the village
1	Sankotda+k	31	Nangal Tulsidass
2	Patal ka baas	32	Ghata Jaldhari
3	Bhavni	33	Basna
4	Kharad	34	Toda meena
5	Harampur	35	Bhavgarh
6	Ghoreth	36	Godiana
7	Raipur	37	Samred Khurd
8	Asthal ka baas	38	Raisar
9	Jharunda	39	Jojrala
10	Khawa	40	Luneta
11	Paladi Khurd	41	Kela ka baas
12	Kharkada	42	Bahlod
13	Paladi Kalaa	43	Jaisinghpura
14	Sarjoli	44	Chawa ka bas
15	Buj	45	Lalpura
16	Manota	46	Palasana
17	Jhol	47	Guwara-Jogian
18	Doda dungar	48	Lotha ka bas
19	Papad	49	Gurawa nal
20	Rampura	50	Jaitpur gujaran
21	Jamwaramgarh	51	Nitata
22	Meghrajsinghpura		
23	Bishanpura		
24	Nayabaas		
25	Narpatiyabas		
26	Badiyawala		
27	Chugalpura		
28	Koliana		
29	Pali		
30	Bisori		

Annexure –V

Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of Meetings
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach Minutes of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006.
   Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

RAKESH SUKUL
Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2018.02.04 19:08:53 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.